विविध बैंक प्रकरण संख्या 17/2019(GCMS : 2019/00025) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई कृषि मंडी, श्रीगंगानगर (राज.) जरिये श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स राज सन्स जरिये प्रो. श्री मोहन लाल वधवा पुत्र श्री राज कुमार वधवा, दुकान नं. 23, न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर (राज.) 2. अरूण कुमार पुत्र श्री राम किशन चलाना 3. श्रीमती कुसुम चलाना पत्नी श्री राम किशन चलाना, निवासी मकान नं. 3/59, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर 4. श्री राज कुमार पुत्र श्री लखु राम निवासी मकान नं. 52-ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और प्रार्थी बैंक की ओर से नॉट प्रेस किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स राज सन्स, अरूण कुमार, कुसुम चलाना एवं राज कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अरूण कुमार की **व्यावसायिक संपति** दुकान नं. 18-बी, पब्लिक पार्क (क्षेत्रफल 166 वर्गफुट) श्रीगंगानगर (राज.) एवं राज कुमार की व्यावसायिक संपति दुकान नं. 22 (पश्चिम दिशा खुलती हुई) (क्षेत्रफल 12′ गुणा 28′) न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर **का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2019 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है** और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स राज सन्स, अरूण कुमार, कुसुम बलाना एवं राज कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अरूण कुमार की व्यावसायिक संपति दुकान नं. 18–बी, पब्लिक पार्क (क्षेत्रफल 166 वर्गफुट) श्रीगंगानगर (राज.) एवं राज कुमार की व्यावसायिक संपति दुकान नं. 22 (पश्चिम दिशा खुलती हुई) (क्षेत्रफल 12′ गुणा 28′) न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
श्रीगंगानगर